

.....सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं.....

तारीख:

वर्ष.....के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी, जो गाँव/गली..... डाकघर जिला.....राज्य/संघ राज्यक्षेत्र.....पिन कोड..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अनुप्रमाणित किया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के हैं, क्योंकिवित्तीय वर्ष के लिए उनके "परिवार"*** की कुल वार्षिक आय* रु. 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। उनके परिवार का निम्नलिखित में से किसी भी परिसंपत्ति*** पर स्वामित्व या कब्जा नहीं है।

- I. 5 एकड़ और उससे अधिक की कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का रिहाइशी फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारीजाति के हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर_____

नाम_____

पदनाम_____

आवेदक का हाल
का खींचा गया
पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित
फोटोग्राफ

*नोट 1: आय में सभी स्रोतों से आय शामिल हैं, अर्थात् वेतन, कृषि, कारोबार, पेशा आदि।

**नोट 2: इसके प्रयोजनार्थ "परिवार" पद में वह व्यक्ति, जिसे आरक्षण का लाभ चाहिए एवं उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके सहोदर भाई/बहन तथा उसकी पत्नी/पति और 18 वर्ष से कम आयु की उसकी संतानें भी शामिल हैं।

***नोट 3: किसी "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या भिन्न-भिन्न स्थानों/नगरों में धारित संपत्ति को ईडब्ल्यूएस की हैसियत का निर्धारण करने के लिए भूमि या संपत्ति-धारण का परीक्षण करते समय एक साथ मिला लिया गया है।